डीजीपी की उपस्थिति में फुल ड्रेस रिहर्सल

भोपाल (काप्र)।

मध्यप्रदेश में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। मुख्य समारोह 26 जनवरी को प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में लाल परेड मैदान में प्रातः 9 बजे आयोजित होगा।

गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली संयुक्त परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम अभ्यास शुक्रवार को लाल परेड मैदान पर किया गया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने परेड एवं समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संयुक्त परेड के पश्चात विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों एवं संस्कृति विभाग के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम अभ्यास किया गया।

गणतंत्र परेड में 22 झांकियां

गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान उद्यानिकी विभाग, आयुष विभाग, उद्योग विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, जेल विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग, सहकारिता विभाग एवं संस्कृति विभाग की झांकियां प्रतिभाग करेंगी। फुल ड्रेस अभ्यास परेड के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसएएफ राकेश गुप्ता, भोपाल की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती किरण गुप्ता और भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

राजभवन का अवलोकन आज 2 बजे से और रविवार को 11 बजे से

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल के निर्देशानुसार राजभवन 25 से 27 जनवरी तक खोला जा रहा है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आगंतुकों के लिए संविधान की थीम पर आधारित प्रदर्शनी और ओपन थिएटर विशेष आकर्षण का केन्द्र रहेंगे। ओपन थिएटर में अमर शहीदों की गौरव गाथा और विकास पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि नागरिक 25 से 27 जनवरी तक निर्धारित अवधि में राजभवन का अवलोकन कर सकेंगे। राजभवन 25 और 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा। इसी प्रकार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजभवन भ्रमण की अनुमति रहेगी।

आनंद उत्सव की गतिविधियों के उत्कृष्ट फोटो और वीडियो पर मिलेंगे पुरस्कार

प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में मकर संक्राति पर्व 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इनके अंतर्गत सांस्कृतिक और परम्परागत खेलकूद की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। कार्यक्रमों के फोटो एवं वीडियो के चयन के लिये एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आनंद उत्सव कार्यक्रम से जुड़े आनंदक, नागरिक और आयोजक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर संवाद सह सम्मान कार्यक्रम

भोपाल (काप्र)।

सुरक्षित शहर पहल कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किशोर/युवाओं एवं मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों संग संवाद सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन आंचलिक विज्ञान केंद्र में किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों विशेषकर बालिकाओं के सशक्तिकरण एवं संरक्षण के विषय पर चर्चा करना एवं आगामी कार्य योजना का निर्माण कर उसे लागू करने की दिशा में पहल करना था। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गण श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विनीत कपूर, महानिरीक्षक, अमृतलाल मीना, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, आंचलिक विज्ञान केंद्र के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर साकेत सिंह कौरव एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि शामिल हुए।

साथ ही स्वयं सेवी संस्था आरम्भ, उदय, मुस्कान, बचपन, आवाज, उदयन केयर एवं ममता संस्था से प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विभिन्न संस्थाओं से जुड़े 200 किशोर एवं युवाओं ने भी इस कार्यक्रम में भागीदारी की। साथ ही अपनी समस्याओं एवं उपलब्धियों पर चर्चा की।

सात सम्मानों से कल अलंकृत होंगी प्रदेश और देश की 14 विभूतियां

भोपाल। मप्र शासन, संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा बीते दिनों की गई थी। इन सम्मानों का अलंकरण समारोह 26 जनवरी को सायं 7 बजे से रवीन्द्र भवन परिसर में आयोजित किया जा रहा है।

इन सम्मानों में राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, राष्ट्रीय देवी अहिल्या बाई सम्मान, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान प्रदान किए जाएंगे। संचालक संस्कृति एनपी नामदेव ने बताया कि प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के प्रतिष्ठित सम्मान साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में सुदीर्घ साधना एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय इकबाल सम्मान वर्ष 2022 से अब्दुस्समद - पटना को अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2022 से ग्वालियर की विवेकानंद नीडम संस्था और वर्ष 2023 से भारत भारती शिक्षा समिति, बैतूल को अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय कबीर सम्मान वर्ष 2022 से रामदरश मिश्र, दिल्ली और वर्ष 2023 से लीलाधर जगूड़ी, उत्तराखण्ड को अलंकृत किया जाएगा। वहीं, राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान वर्ष 2022 से डॉ. देवेन्द्र दीपक, भोपाल और वर्ष 2023 से सुश्री नीरजा माधव, वाराणसी को अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय देवी अहिल्या बाई सम्मान वर्ष 2022 से श्रीमती हेमलता उपाध्याय, खण्डवा और वर्ष 2023 से श्रीमती गीता त्यागी, प्रयागराज को अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान वर्ष 2022 से कैलाशचंद्र पंत, भोपाल और वर्ष 2023 से डॉ. प्रभात कुमार भट्टाचार्य, उज्जैन को अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान वर्ष 2023 से राघवराज भट्ट, हैदराबाद और वर्ष 2023 से दिनेशचंद्र कुम्हार, राजसमंद (राजस्थान) से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान वर्ष 2022 से मातृछाया संस्था, भोपाल को और वर्ष 2023 से सोपानम इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एण्ड रिसर्च, तिरुअनंतपुरम को अलंकृत किया जाएगा।

जीएमसी के सेवानिवृत्त प्रो. डॉ. गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त

भोपाल (काप्र)।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हमीदिया अस्पताल के सेवानिवृत्त प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और हमीदिया अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव गुप्ता के पिता डॉ. मदन मोहन गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री शुक्ल ने कहा कि स्व. डॉ. गुप्ता ने चिकित्सा क्षेत्र में अपनी अमूल्य सेवाएं देकर समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने परमपिता परमेश्वर से स्व. डॉ. मदन मोहन गुप्ता को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और परिजन को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम : सारिका

भोपाल (काप्र)।

शनिवार को 15 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है । यह लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नये उत्साह से मनाया जा रहा है । चुनाव आयोग के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। इस अवसर पर मध्यप्रदेश में विगत 15 वर्षो से स्वीप आईकॉन के रूप में कार्यरत सारिका घारू ने वीडियो गीत के जारी किया ।सारिका ने बताया कि इस वर्ष की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम रखी गई है। जो चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के महत्व को बताती है, और मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में गर्व महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके पहले सारिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि भारत के कुल मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ के करीब पहुंच रही है जिसमें 18-29 आयु वर्ग के 21.7 करोड़ युवा मतदाता हैं।

हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2025 का परीक्षा कार्यक्रम पूर्व में प्रसारित किया गया था। पूर्व में प्रसारित हाईस्कूल परीक्षा कार्यक्रम में 19 मार्च 2025 को आयोजित विज्ञान विषय की परीक्षा 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार, को आयोजित की जाएगी। हायर सेकण्डरी परीक्षा की 19 मार्च दिन बुधवार, को आयोजित नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशंस फ्रेम वर्क (एनएसक्यूएफ) के समस्त विषय एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा 21 मार्च दिन शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम मण्डल की वेबसाइट पर देखे जा सकते है। शेष परीक्षा कार्यक्रम यथावत रहेगा।

कैलाश विजयवर्गीय एवं अन्य के खिलाफ लोकायुक्त की जांच शुरू

भोपाल (काप्र)।

लोकायुक्त ने मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के महापौर पुष्य मित्र भार्गव, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

67 अवैध निर्माणों को लेकर यह जांच शुरू की गई है। लोकायुक्त को शिकायत की गई थी, मंत्री और विभागीय अधिकारियों की मदद से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोकायुक्त के उप विधि सलाहकार संतोष प्रसाद शुक्ला के आदेश पर जांच शुरू की गई है। शिकायतकर्ता परमानंद सिसोदिया का कहना है। वह 1994 से 2000 तक भाजपा के पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने अवैध निर्माण को लेकर अभी तक 7 जनहित याचिकायें हाई कोर्ट में दायर कर रखी हैं। अवैध निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम इंदौर द्वारा हलफनामा दायर किया गया था। वह शहर में अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए थे। अवैध निर्माण पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। यदि इसके बाद अवैध निर्माण होंगे,तो सीधे निगम के आयुक्त जिम्मेदार होंगे। सभी शिकायतें प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर की गई हैं। जिसके कारण इंदौर नगर निगम के आयुक्त पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकती हुई दिख रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

भारतीय किसान संघ 5 फरवरी को करेगा मंत्रालय का घेराव

भोपाल (काप्र)। भारतीय किसान संघ 5 फरवरी को राजधानी भोपाल में वल्लभ भवन का घेराव करेगा। भारतीय किसान संघ मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन होगा। किसान संघ ने गेहूं का भाव 2700 रुपए क्विंटल और धान का भाव 3100 रुपए क्विंटल की मांग, किसानों पर दर्ज झूठे केस वापस लेने, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, ऑनलाइन रिकॉर्ड, नक्शा सुधारने आदि मांग शामिल है। धरना प्रदर्शन के बाद वल्लभ भवन का घेराव किया जाएगा। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेन्द्र पटेल ने कहा कि- कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी की बात लगातार उठा रहे हैं। अब तो संघ से जुड़ा संगठन भी कह रहा कि किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। धान, गेहूं का सही समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि- भारतीय किसान संघ राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवादी किसानों के बीच काम करता है। किसानों की बात सरकार तक पहुंचाना संगठन का काम है। सरकार भी किसानों के मामलों को लेकर सजग है। किसानों की समस्याओं का लगातार समाधान किया जा रहा है।

राहुल-प्रियंका की सभा में राजनीतिक भाषण पर जिला प्रशाससन का प्रतिबंध

भोपाल (काप्र)।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 27 जनवरी को महू में होने वाली सभा के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई अनुमति में प्रशासन ने सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि कांग्रेस द्वारा अपने राजनीतिक मुद्दे पर ही इस सभा का आयोजन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस द्वारा 27 जनवरी को जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान का समापन इस कार्यक्रम में किया जाना है। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस अपनी राजनीति का फोकस संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर पर केंद्रित करने जा रही है। बाबा साहब के मुद्दे पर संसद में लड़ाई लड़ने के बाद अब कांग्रेस सडक़ पर लड़ाई लड़ने के लिए उतरी है। इस लड़ाई के माध्यम से कांग्रेस का लक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का समर्थन हासिल करना है। बाबा साहब आंबेडकर के जन्म स्थल महू के इस कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ पदयात्रा भी शुरू की जाएगी। इस पदयात्रा को एक साल तक चलाया जाएगा। इस तरह से राजनीतिक मकसद से ही कांग्रेस द्वारा 27 जनवरी को महू का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन द्वारा वेटरनरी कॉलेज मैदान रसलपुरा में आयोजित की जाने वाली सभा के लिए मांगी गई अनुमति में प्रशासन ने आठ शर्ते जोड़ दी हैं, जिसमें प्रमुख शर्त यह है कि कार्यक्रम के समय अनाउंसमेंट के दौरान कोई भी राजनीतिक व धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित रहेंगे। इस तरह से जिला प्रशासन द्वारा राहुल गांधी-प्रियंका गांधी की सभा में किसी भी तरह के राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण अब विचित्र स्थिति बन गई है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस सभा में राजनीतिक भाषण ही देंगे। ऐसे में अब आने वाले वक्त पर सभी की नजर लग गई है। अब कांग्रेसी हैरान हैं कि यदि राजनीतिक भाषण नहीं होगा तो कार्यक्रम का मकसद कैसे सफल होगा।

सप्रे संग्रहालय में तीन पत्रकारों की पुस्तकों पर चर्चा आज

भोपाल (काप्र)। पत्रकारिता में कुछ प्रतिभाएं भी हैं, जिन्होंने धारदार पत्रकारिता के साथ-साथ उत्कृष्ट लेखन में भी पहचान बनाई है। ऐसे ही तीन संपादक-लेखकों की पुस्तकों पर माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान में शनिवार, 25 जनवरी को अपराह्न 2:30 बजे 'कृतिचर्चा' का आयोजन किया गया है।

प्रख्यात पत्रकार और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश दुबे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सप्रे संग्रहालय के संस्थापक विजयदत्त श्रीधर ने बताया कि हरिवंश की पुस्तक 'गणेश मंत्री- आधुनिक हिन्दी पत्रकारिता के यशस्वी स्तंभ', राजेश बादल की पुस्तक 'मिस्टर मीडिया- मीडिया की दुनिया' और हरीश पाठक की पुस्तक 'मेरा आकाश मेरे धूमकेतु' पर चर्चा का आयोजन रखा गया है। हरिवंश हिन्दी पत्रकारिता के अग्रणी हस्ताक्षर हैं, और, संप्रति राज्यसभा के उप सभापति हैं। गणेशमंत्री धर्मयुग के संपादक रहे हैं। वैचारिक और राजनीतिक पत्रकारिता में उनका अग्रणी स्थान है। राजेश बादल मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठतम पत्रकार हैं। राज्यसभा टी.वी. चैनल के पहले संपादक होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। हरीश पाठक कथाकार और पत्रकार दोनों रूपों में अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं। वैश्विक हिन्दी पत्रकारिता के अध्येता डा. जवाहर कर्नावट विमर्श का संयोजन-संचालन करेंगे। कृतिचर्चा के इस आयोजन में कृति और कृतित्व पर लेखकों के वक्तव्य होंगे तथा सवाल-जवाब भी होंगे। विजयदत्त श्रीधर के अनुसार नवोदित पत्रकारों और पत्रकारिता के विद्यार्थियो के लिए अपनी परंपरा को जानने - पहचानने का यह स्वर्णिम अवसर है।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20-20 वर्ष की सजा

भोपाल (काप्र)। माननीय न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण फरहान व रिजवान को धारा 376(डी)(ए) 354-सी, 506 भादवि एवं धारा 5एल, जी/6 (बार-बार), 11/12 पॉक्सो एक्ट एवं 66-ई, 67-बी आई टी एक्ट दोषसिद्ध पाते हुये आरोपीगण को धारा 376(डी)(ए) भादवि 5 एल, जी/6 (बार-बार) पॉक्सो एक्ट मे 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन-तीन लाख रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 354-सी भादवि एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट) मे एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए एवं 67-बी आईटी एक्ट मे 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000-50,000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 66-ई आईटी एक्ट मे 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 50,000-50,000 रू अर्थदण्ड धारा 506 भादवि मे 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है ।

उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कोमिला किरतानी , श्रीमती ज्योति कुजूर एवं सुश्री दिव्या शुक्ला द्वारा पैरवी की गई। घटनाक्रम के अनुसार अभियोक्त्री ने अपनी माता के साथ 14 अक्टूबर 20 को थाना अशोका गार्डन मे उपस्थित होकर एक टाईपशुदा आवेदन प्रस्तुत कर लिखित शिकायत की, उसकी 12 वर्षीय पुत्री पिछले एक साल से पबजी गेम आनलाईन खेलती थी, खेलने के दौरान उसकी बेटी की दोस्ती बालक, फरहान व रिजवान नाम के लड़कों से हुई थी। फरहान को उसकी बेटी का मोबाईल नंबर मिल गया था, जिस पर एक-दो बार फरहान ने अभियोक्त्री को व्हाटसएप पर मैसेज किये थे।

3 सितंबर 20 को जब वह अपने काम से गई थी। तब उसकी बेटी सुबह करीब 11 बजे गाडी मे पेट्रोल डलवाने गई थी तभी वहा पर आरोपी फरहान उसे मिला, फरहान उसकी बेटी के साथ आ गया और अपने साथ दोस्त बालक एवं रिजवान को फोन करके बुला लिया। उसकी बेटी को धमकाकर तीनों लड़कों ने एक साथ गलत काम एवं बलात्कार किया और वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 05 अक्टूबर से 12अक्टूबर 20 को तीनों लड़कों ने उसकी बेटी को गौतम नगर व चौकसे नगर में बालक के घर में ली जाकर बलात्संग कारित किया। 14अक्टूबर 20 को उसे अपनी बेटी के कंधो पर हलके खरोंच के निशान दिखने पर उसने बेटी से पुछा तो बेटी ने अपनी माता को पूरी घटना बताई। न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री की पढाई एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये 8 लाख रूपये प्रतिकर की राशि दिलाई गई।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक किता व्यवसाईक प्लाट क्र. 1-A,कार्नर जो कि भूखण्ड क्रमांक 1 से लगा हुआ जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग फिट अर्थात 18.58 वर्ग मीटर है जो कि खसरा नं. 144/1/1(S) कुल एरिया 2429 वर्ग मीटर का अंश भाग होकर लाड़ली परिसर, ग्राम खजूरीकला, पटवारी हल्का नं. 19, राजस्व निरीक्षण मण्डल 04, विकास खण्ड फंदा तह. हुजूर जिला भोपाल में नगर निगम सीमाओं के अन्दर वार्ड क्र. 61, में स्थित है। जिसकी ऋण पुस्तिका क्र. CLR नं. 11130851388 है। जो कि निम्न चतुर्थ सीमाओं में स्थित है पूर्व में क्रिस्टल सिटी की बाऊंड्रीवाल, पश्चिम में कॉलोनी की सड़क, उत्तर में प्लाट क्र. 01, दक्षिण में कॉलोनी की सड़क,उक्त व्यवसायीक भूखण्ड को विक्रेता श्री अश्वनी श्रीवास्तव S/O श्री रामचरण श्रीवास्तव निवासी हाऊस नं. 19, आजाद नगर, पक्षी विहार बरखेड़ा पठानी, भेल हुजूर भोपाल से श्री वैभव वाणी S/O सुनिल वाणी आयू 26 वर्ष एवं सुनिल वाणी पुत्र स्व. श्री आरडी वाणी, निवासी 7/1 चित्तौड़ काम्पलेक्स एम.पी. नगर जोन 1, भोपाल द्वारा क्रय किया गया है। जिसका सम्पूर्ण भुगतान श्री अश्वनी श्रीवास्तव द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जिसकी स्वीकृति मान्य करते हुए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30/1/2025 को रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तिय संस्था, शासकीय, अर्थशासकीय विभाग को कोई आपत्ति हो या किसी के पक्ष में किसी भी प्रकार के रहन या पूर्व का कोई अनुबंध हो या भूमि पर कोई बकाया या किसी भी प्रकार का विवाद मालिकाना हक को लेकर या आधिपत्य को लेकर कोई विवाद हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर मय दस्तावेज के अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्य उक्त अवधि के पश्चात कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आर. के. पाण्डेय, अधिवक्ता
पता: 7/1 चित्तोड़ काम्प्लेक्स एम.पी.नगर जोन 1, भोपाला (म.प्र.) मो.नं. 9301141151
3328

नाम परिवर्तन सूचना

विवाह से पूर्व मेरा नाम छाया सचदेव (Chhaya Sachdev) पुत्री श्री शंकर सचदेव (Shankar Sachdev) था। जो कि मेरे पूर्व में बने पासपोर्ट पर दर्ज है। अब विवाह के बाद मेरा नाम बदलकर वंशिका खूबचंदानी (Vanshika Khubchandani) पत्नी श्री मयूर खूबचंदानी निवासी मकान नं.79, विजयनगर बी-सेक्टर, लालघाटी भोपाल (मध्य प्रदेश) हो गया है अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। 3333

CHANGE OF NAME

I, Tulsi Bai W/o Shri Chhote Lal Prajapati R/o 95, Nariyalkheda, Nishatpura, Bhopal M.P. declare that my name and date of birth have been wrongly mentioned in my Son (Army No. 15776673F) Hav Bala Prasad Prajapati's army Head as Tulsa Bai Prajapati and 01/07/1956 respectuely. My correct name and date of birth is **Tulsi Bai** and **01/01/1960** respectuely which may be amended accordingly. 3334

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा पूर्व में नाम JEENAT था जो कि मेरे पासपोर्ट पर दर्ज है अब वर्तमान दस्तावेजों में मेरा सही नाम ZEENAT KHAN पति SYED AAMIR ALI निवासी म.नं 13 गली नंबर 1, चौकी इमामबाड़ा भोपाल (मध्य प्रदेश) हो गया है अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। 3331

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा पूर्व में नाम AMIR ALI था जो कि मेरे पासपोर्ट पर दर्ज है अब वर्तमान दस्तावेजों में मेरा सही नाम SYED AAMIR ALI पिता LIYAQAT ALI निवासी मकान नंबर 13 गली नंबर 1 चौकी इमामबाड़ा भोपाल (मध्य प्रदेश) 462001 हो गया है अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। 3332

जाहिर सूचना

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार ने (1) सरदार सिंह लोधी पिता श्री गनेश प्रसाद लोधी निवासी-मोहड पीपलाई पोस्ट देवरी, जिला रायसेन म.प्र. (2) वीरेन्द्र कुमार लोधी पिता श्री कुंजी लाल लोधी निवासी ग्राम पांजरा, जिला रायसेन म.प्र. की दो किता खसरा नं. 194, 196/2 रकबा 2.656, 0.506 हेक्टेयर कुल रकबा 3.162 हेक्टेयर अर्थात खसरा नं. 194 के अंशभाग में से साईज 30×50=1500 वर्गफिट का भूखण्ड 12 (कार्नर) है जिसमें से आधा भाग 750 वर्गफिट जो ग्राम खेजड़ा बरामद, प.ह.नं. 21. रा.नि.नं. 1 विकास खण्ड-फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र. में नगर निगम सीमा में वार्ड नं 67, नया वार्ड नं. 74 में स्थित है, जिसकी चतुर्थ सीमाये निम्न है :- दिशा पूरब में- प्लाट नं. 12, दिशा पश्चिम में अन्य का प्लाट, दिशा उत्तर में अन्य का प्लाट, दिशा दक्षिण में रास्ता, जिसका इन्द्राज उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में विधिवत रूप से ई-पंजीयन क्रमांक MP059712016A1510829, दिनांक 01.09.2016 पर इन्द्राज है जिसे मेरे पक्षकार ने क्रय करने का अनुबंध किया हैं और बयाना राशि अदा कर दी है एवं उक्त भूखण्ड के सम्बंध में किसी व्यक्ति एवं परिवार के अन्य सदस्यों एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को संस्था/ बैंक हाऊसिंग फायनेन्स संस्था /शासकीय गैर शासकीय कार्यालय/ हाऊसिंग बोर्ड को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त वर्णित भूखण्ड कही विक्रय अनुबंध, दान, गिरवी, वसीयत, हिबा, मैहर, हस्तांतरण इत्यादि हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 07 (सात) दिवस की अवधि में मेरे कार्यालय में मय दस्तावेजो सहित उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा समयावधि निकल जाने के पश्चात् मेरा पक्षकार उक्त वर्णित भूखण्ड का विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय पत्र पंजीयन अपने पक्ष में करा लेगा, और समयावधि निकल जाने के पश्चात् कोई भी आपत्ति एवं दावा मान्य नहीं होगा।

सतीश अहेलिया, एडवोकेट
कार्या.-123, नारंग टाईपिंग सेन्टर एंड सर्विस प्रोवाइडर, नियर अप्सरा टाकीज, रायसेन रोड भोपाल म.प्र.। मो. 9826162974, 9826472014
3329

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने विक्रेतागण 1. श्रीमती जशोदीबाई पत्नी श्री मोतीलाल आयु 67 वर्ष, निवासी-63, बडवई, वार्ड क्रं 68, तहसील हुजूर जिला भोपाल, 2. श्री परसराम पुत्र श्री शिवचरण आयु 55 वर्ष, निवासी- 27, ग्राम कौड़ी पोस्ट अमरावदकलां तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र., 3. श्री सीताराम कुशवाहा पुत्र श्री जुगलकिशोर कुशवाहा आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी-43, टाईप 3-बी, बी सेक्टर, पिपलानी बी.एच.ई.एल भोपाल म.प्र. के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि जिसका खसरा क्रं 165/1/1/1 रकबा 0.244 हे. खसरा क्रं 165/1/1/2 रकबा 0.054 हे., खसरा क्रं 165/1/1/3 रकबा 0.126 हे. कुल रकबा 0.424 हे. अर्थात 1.05 एकड़ भूमि स्थित ग्राम बड़वई प.ह.न. 5/7 विकास खण्ड फंदा तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. जो कि नगर निगम सीमाओं के वार्ड क्रं 68 में स्थित है। में से 5000 वर्गफिट भूमि को क्रय करने हेतु विक्रय अनुबंध पत्र का निष्पादन कर ब्याना राशि का भुगतान कर दिया है, उक्त भूमि के संबंध में यदि किसी व्यक्ति संस्था, बैंक सोसायटी आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या उक्त संपत्ति के संबंध में कोई वाद विवाद लेनदेन, हिबा, दान, वसीयत, गिरवी, विक्रय अनुबंध विक्रय विलेख आदि हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेजों के आपत्ति प्रस्तुत करे, समयावधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या दावा मान्य या स्वीकार नहीं होगा तथा मेरा पक्षकार उक्त भूमि का पंजीयन विक्रय पत्र का निष्पादन अपने पक्ष में कराने हेतु स्वतंत्र होगा।

सैयद सुहैल अहमद, अधिवक्ता
Offece / Residence - 97, Opp, Bourbon School Church Road, Jehangirabad, Bhopal - 462008
Mob.9425444718
3330